कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली
प्रेस नोट दिनांक- 14.07.2026

□थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा 1.478 किग्रा अवैध गांजा बरामद कर 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर, गगन राज सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13.07.2026 को थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर जफरपुर चकियाँ चौराहे के पास स्थित भांग की दुकान से 01 व्यक्ति को पुड़ियो में रखे कुल 1.478 किग्रा अवैध गांजा बरामद कर, 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान नाम मनोज कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 राजकुमार गुप्ता निवासी ग्राम तेजोपुर थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली उम्र करीब 44 वर्ष के रुप में हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा मु0अ0सं0 444/2026 धारा 8/20/12/25/29 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि बरामद अवैध गांजा उसे लाइसेंसी भांग की दुकान की लाइसेंस धारक द्वारा उपलब्ध कराया जाता था। वह गांजे की 50 व 100 रुपये की पुड़िया बनाकर बेचता था तथा बिक्री से प्राप्त लाभ आपस में आधा-आधा बांट लेते थे। अभियुक्त ने बताया कि अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से वह लाइसेंसी भांग की दुकान का उपयोग अवैध रूप से गांजा बेचने के लिए कर रहा था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–

1.मनोज कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 राजकुमार गुप्ता निवासी ग्राम तेजोपुर थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली उम्र करीब 44 वर्ष

आपराधिक इतिहास का विवरण-

1.मु0अ0सं0 444/2026 धारा 8/20/12/25/29 एनडीपीएस थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।
2.मु0अ0सं0 148/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।
3.मु0अ0सं0 545/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना रोहनियाँ जिला वाराणसी कमिश्नरेट।

बरामदगी का विवरण-

1.अवैध गांजा कुल मात्रा कुल 1.478 किग्रा अवैध गांजा बरामद

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 14.07.2026

□सीमा पार तस्करी से पहले पुलिस का एक्शन, ट्रक सहित अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई।

□थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 ट्रक वाहन से परिवहन कर बिहार राज्य ले जाए जा रहे 115 पेटी अवैध देशी शराब कुल 1035 लीटर बरामद कर 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

□बरामद अवैध देशी शराब की अनुमानित कीमत 04 लाख रुपये।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर श्री गगनराज सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 13.07.2026 को भारत पेट्रोलियम मेन गेट से करीब 500 मीटर पहले बहद ग्राम सरेसर से चेकिंग के दौरान तेज आ रही एक ट्रक नम्बर UP65BT3990 को रोककर चेक किया गया तो ट्रक वाहन के डाला से 23 बोरी प्रत्येक बोरी में 05 पेटी, कुल 115 पेटी, प्रत्येक पेटी में 45 टेट्रा पैक ब्लू लाइम देशी शराब प्रत्येक टेट्रा पैक की मात्रा 200 ML कुल मात्रा 1035 लीटर अवैध देशी शराब बरामद कर ट्रक के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार चालक की पहचान राकेश कुमार पुत्र रामेश्वर शाह निवासी ग्राम सोनहर थाना शिवसागर जनपद रोहतास बिहार उम्र करीब 28 वर्ष के रुप में हुई।

बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 445/2026 धारा 60/63 आबकारी अधि0 में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वाहन स्वामी द्वारा यह शराब वाराणसी से ट्रक मे लोड करवाकर ट्रक मुझे दे दी जाती जिसे मै बिहार ले जाकर वाहन स्वामी द्वारा बताये गये पते पर ले जाकर छोड़ देता हूँ जिससे हम लोगो को अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है आज भी मै ट्रक वाहन से वाराणसी से शराब लेकर बिहार जा रहा था रिंग रोड पर पचपेड़वा के पास बोल्डर लगे होने के कारण आज इस रास्ते से जा रहा था कि पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.राकेश कुमार पुत्र रामेश्वर शाह निवासी ग्राम सोनहर थाना शिवसागर जनपद रोहतास बिहार उम्र करीब 28 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 445/2026 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना अलीनगर जनपद चन्दौली ।

<u>बरामदगी विवरण-</u>

ट्रक वाहन के डाला से 23 बोरी प्रत्येक बोरी में 05 पेटी, कुल 115 पेटी, प्रत्येक पेटी में 45 टेट्रा पैक ब्लू लाइम देशी शराब, प्रत्येक टेट्रा पैक की मात्रा 200 ML कुल मात्रा 1035 लीटर अवैध देशी शराब बरामद।